विविध बैंक प्रकरण संख्या 08/2022(GCMS : 2022/12) ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर– 3202019 राजस्थान बनाम 1. सुनील कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश पता वार्ड नं 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान– 335062 2. श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश पता वार्ड नं. 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335062 3. श्रीमती मोनीषा गोगई पत्नी श्री सुनील कुमार पता वार्ड नं. 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335062 4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मनीराम पता वार्ड नं. 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढ़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण सुनील कुमार, कलावती देवी, मोनीषा गोगई एवं ओमप्रकाश द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ओमप्रकाश एवं कलावती देवी की अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 1134(क्षेत्रफल 110 वर्गगज), वार्ड नं. 1, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 22.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सुनील कुमार, कलावती देवी, मोनीषा गोगई एवं ओमप्रकाश के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी ओम प्रकाश एवं कलावती देवी की अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 1134(क्षेत्रफल 110 वर्गगज), वार्ड नं. 1, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का कथन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:32 IST
Reason: SelfAttested